संख्या-16/2022/आई/200856/2022/फा0नं0-10-19099/22/2022-22

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2022

विषय: **ई-पेंशन पोर्टल (e-pension.up.nic.in) द्वारा पेंशन प्रबन्ध एवं नियंत्रण।**

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा) के अधिकारियों एवं स्वयं के लिये आहरण एवं वितरण के लिये अधिकृत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा, उ0प्र0 राज्य न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा तथा उ0प्र0 प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरण वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2021-सा-700/दस-2021-301(18)/2021 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 सपठित शासनादेश संख्या-8/2022/आई/157217/2022/दस-19099/22/2022-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से माह जुलाई, 2022 से व्यवहृत किये जायेंगें। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों का पोर्टल पर **login ID** का सृजन एवं ऐक्टिवेशन उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में दी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

2- उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों के लॉग-इन आई0डी0 ऐक्टिवेट करने तथा पेंशन प्रपत्रों के वैलीडेशन एवं पेंशन प्रपत्रों को पोर्टल के माध्यम से निदेशक, पेंशन उ0प्र0 को प्रेषित किये जाने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में, निम्नानुसार अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी:-

क्रमांक	श्रेणी	अधिकृत प्राधिकारी	डी0डी0ओ0 कोड
1	भारतीय प्रशासनिक सेवा	नियुक्ति अनुभाग-1 के संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	5001
2	भारतीय पुलिस सेवा	गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	5002
3	भारतीय वन सेवा	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	5003
4	उ0प्र0 न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा	निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	5004
5	उ0प्र0 प्रान्तीय सिविल सेवा	नियुक्ति अनुभाग-2 के संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	5005
6	उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के विभागाध्यक्ष	वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	5006
7	उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के विभागाध्यक्ष से इतर अधिकारी	निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश	5007

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- दिनांक 31 जुलाई, 2022 को एवं उसके आगे से सेवानिवृत्त होने वाले उपरोक्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण इस शासनादेश की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। जिन कार्मिकों के पेंशन प्रकरण पूर्व व्यवस्था अनुसार पी.पी.ओ. निर्गमनकर्ता अधिकारी को अग्रसारित किये जा चुके हैं, उनके पेंशन भुगतानादेश पूर्ववत निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- निदेशक, पेंशन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ से सम्पर्क कर ई-पेंशन पोर्टल में आवश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें तथा पेंशन प्रकरणों को निदेशक, पेंशन को अग्रसारित किये जाने हेतु इस शासनादेश द्वारा अधिकृत प्राधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें।
4- राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया ई-पेंशन पोर्टल में आवश्यक संशोधन प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- नियुक्ति अनुभाग-1/गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1/वित्त (सेवायें) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।